

## फर्द अहकाम

(नियम-13)

(General Rules (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No. 91)

अदालत श्रीमान सहायक न्यायाधीश मुकाम डीडवाना  
 पञ्चत कोचो प/ठ मोठे सदीक बनाम लक्ष्मीधर डीडवाना  
 मुकदमा नं. 33 88, 188 RT सं. 324/25

हुक्म	हुक्म या कार्यावाही मल इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-------	-------------------------------------	---

5	<p>बकील श्रीमान          बाद अन्तर्गत धारा 33 88, 188 RT का          जो दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिनियुक्त करिए          सम्मन तलब होकर पत्रावली दिनांक 4/9/25          को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">vikas          उपखण्ड अधिकारी          डीडवाना</p> <p>4/9/2025          पत्रावली पेश हुई। 95 लाख 00-1          लक्ष्मीधर धरने। पत्रावली तामील है।          लक्ष्मीधर के तदुपलब्ध धरने तलब है। पत्रावली          वाले धरने वतना है। धरने 15/9/2025          पेश है। vikas</p> <p>15/9/25          पत्रावली पेश हुई। श्री मान P.O. सा          अवकाश/अन्य कार्य/दौरे पर पधारे है।          मिसल दिनांक 18/11/25 को पेश हो          U.S.          S</p> <p>18/11/25          पत्रावली पेश हुई। श्री मान P.O. सा          अवकाश/अन्य कार्य/दौरे पर पधारे है।          मिसल दिनांक 22/12/25 को पेश हो          21/12/25</p> <p>24/12/25 पत्रावली पेश हुई। श्री मान P.O. सा          अवकाश/अन्य कार्य/दौरे पर पधारे है।          मिसल दिनांक 24/12/25 को पेश हो          21/12/25</p> <p>24/12/24          पत्रावली पेश हुई। श्री मान P.O. सा          अवकाश/अन्य कार्य/दौरे पर पधारे है।          मिसल दिनांक 5/1/26 को पेश हो          21/12/24</p>	
---	--	--



05.01.26

पत्रावली पेश हुई। श्री मान P.O. सा  
अवकाश/अन्य काम/दौरे पर प्यारे है।  
मिसल दिनांक 07.01.26 को पेश हो  
रिजल्ट

07.01.26

पत्रावली पेश हुई। वक्तव्य उपर  
पत्रावली में तस्लीम दार डीवाना की रिपोर्ट जाय  
नहीं हुई है तस्लीम जारी हो। पत्रावली वाले  
इ-तजार रिपोर्ट दिनांक 12.01.26 को पेश हो

Wkas

उपखण्ड अधिकारी  
डीडवाना

12.01.26

पत्रावली पेश हुई। वक्तव्य उपर  
पत्रावली वाले इ-तजार तस्लीम दार रिपोर्ट  
दिनांक 09.03.26 को पेश हो

Wkas

उपखण्ड अधिकारी  
डीडवाना

3.26

पत्रावली पेश हुई।  
वादीगण व वकील वादीगण को बार-बार  
आवाज लगाने के बावजूद न्यायालय में  
उपस्थित नहीं होने पर, पत्रावली फसल  
पेकी फसल हाजरी में खारिज की जाती  
है। पत्रावली फसल सुधार होकर नष्ट  
से बच हो

Wkas

उपखण्ड अधिकारी  
डीडवाना